भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2605

दिनांक 19.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण

2605. श्री संजय राउतः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा मानक से कई गुना अधिक पाई गई है और इससे हजारों लोग फ्लोरोसिस रोग से पीड़ित हैं, जो हड्डियों को कमजोर करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गंभीर समस्या के बारे में देश में आंकड़े एकत्र किए हैं या कोई सर्वेक्षण करवाया है या जानकारी हासिल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देशभर में फ्लोराइड युक्त पानी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) जी हां।

(ख) सभी राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे पेयजल स्रोतों की नियमित जांच करें। दिनांक 14 मार्च, 2018 के अनुसार, मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की आबादी सहित (निर्धारित सीमा से अधिक) राज्य वार संख्या **अनुलग्नक** पर दी गई है।

(ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए, यह मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों को पूरा करता है। राज्य सरकारें ही ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों की योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने, अनुमोदित करने एवं कार्यान्वित करने तथा प्रचालन व रखरखाव करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियों का उपयोग कवरेज के लिए तथा आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता देते हुए जल गुणवत्ता की समस्या को दूर करने के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा, आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से निपटने के लिए, नीति आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपीएस) के लिए और सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए मार्च, 2016 में 1,000 करोड़ रु. जारी किए थे।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने लगभग 28,000 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत दिनांक 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन आरंभ किया था।

19.03.2018 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2605 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 14 मार्च, 2018 के अनुसार, मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आबादी सहित फ्लोराइड प्रभावित बसावटों (निर्धारित सीमा से अधिक) की राज्य वार संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	आबादी सहित फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की संख्या	
1	अंडमान एवं निकोबार	-	-
2	आंध्र प्रदेश	348	2,28,702
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-
4	असम	285	1,13,837
5	बिहार	898	11,00,274
6	छत्तीसगढ़	403	1,26,232
7	गोवा	-	-
8	गुजरात	-	-
9	हरियाणा	118	2,96,163
10	हिमाचल प्रदेश	-	-
11	जम्मू एवं कश्मीर	4	9,586
12	झारखंड	543	2,54,886
13	कर्नाटक	579	3,92,122
14	केरल	34	80,427
15	मध्य प्रदेश	171	73,219
16	महाराष्ट्र	79	1,54,985
17	मणिपुर	-	-
18	मेघालय	-	-
19	मिजोरम	-	-
20	नागालैंड	-	-
21	ओडिशा	104	29,960
22	पुडुचेरी	-	-
23	पंजाब	301	3,61,448
24	राजस्थान	5,996	40,94,562
25	सिक्किम	-	-
26	तमिलनाडु	-	-
27	तेलंगाना	798	10,97,859
28	त्रिपुरा	-	-
29	उत्तर प्रदेश	179	3,10,011
30	उत्तराखंड	-	-
31	पश्चिम बंगाल	1,336	8,38,552
कुल		**12,176**	**95,62,825**